झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

क्रिमिनल अपील (डी0 बी0) सं0–130 वर्ष 2019

(विद्वान न्यायिक आयुक्त–सह–विशेष न्यायाधीश, एन0आई0ए0, राँची द्वारा मिसिलेनियस क्रिमिनल आवेदन सं0–1025 वर्ष 2018 में पारित दिनांक 05.01.2019 के आदेश के खिलाफ)

मनोज कुमार
उर्फ मनोज यादव
उर्फ मनोज कुमार यादव .... अपीलार्थी

बनाम्

भारत संघ द्वारा
राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एन0आई0ए0) .... प्रतिवादी

इस मामले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उठाया गया था। पार्टियों के विद्वान अधिवक्ताओं ने इसके संबंध में कोई आपत्ति नहीं किया था एवं कहा था कि ऑडियो और वीडियो अच्छे गुणवत्ता के हैं।

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री एच0सी0 मिश्रा**
माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश कुमार

अपीलार्थी के लिए :– श्री आर0एस0 मजूमदार, वरिष्ठ अधिवक्ता।
श्रीमती जसविंदर मजुमार, अधिवक्ता।
सुश्री मधुलिका दासगुप्ता, अधिवक्ता।

एन0आई0ए0 के लिए :– श्री रोहित रंजन प्रसाद, अधिवक्ता।

निर्णय सुरक्षित तिथिः 08.09.2020 **उद्घोषणाः 14.09.2020**

एच0सी0 मिश्रा, न्याया0ः अपीलकर्त्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एन0आई0ए0) के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. यह अपील राष्ट्रीय जाँच एजेंसी अधिनियम, 2008 की धारा 21 (4) के तहत न्यायिक आयुक्त–सह–विशेष न्यायाधीश, एन0आई0ए0, राँची (तत्पश्चात् इसे एन0आई0ए0 कोर्ट उल्लेख किया जाएगा), द्वारा मिसिलेनियस क्रिमिनल आवेदन सं0–1025 वर्ष 2018, विशेष (एन0आई0ए0) वाद सं0–06 वर्ष 2018, आर0सी0–21/2018/एन0आई0ए0/डी0एल0आई0 के संबंध में, डुमरी (गिरिडीह) थाना वाद सं0–06 वर्ष 2018 से उद्भूत, में पारित दिनांक 05.01.2019 के आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसके द्वारा इस अपीलकर्त्ता के जमानत आवेदन को एन0आई0ए0 कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

3. एन0आई0ए0 के मामले के अनुसार, अपीलकर्त्ता को 22.01.2018 को पकड़ा गया जब वह मोटरसाईकिल पर जा रहे थे। सूचक पुलिस अधिकारी ने जाँच के लिए मोटरसाईकिल को रोकने की कोशिश की, तब यह अपीलकर्त्ता भागने लगा और उसे वहाँ पर उपस्थित पुलिस कर्मियों की मदद से पकड़ा गया। तलाशी लेने पर अपीलकर्त्ता से नक्सल पर्चे और दो दोहरा सिम मोबाइल फोन के साथ छह लाख रूपये बरामद किए गए। पूछताछ करने पर, अपीलकर्त्ता ने कबूल किया कि वह माओवादी नेता कृष्ण दा के लिए काम करता था, और वह उनकी ओर से लेवी एकत्र करता था। अपीलकर्त्ता से बरामद राशि भी लेवी राशि थी, जिसे उसने उक्त आतंकवादी कृष्ण दा द्वारा उसे सौंपे गए

एक पत्र के आधार पर एकत्र किया था, जो पत्र भी अपीलकर्त्ता से बरामद किया गया था, जो कि एक नक्सल पर्चे के पीछे की तरफ लिखा गया था। अपीलकर्त्ता को हिरासत में ले लिया गया और उसके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 386 और 120 बी, गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धाराएँ 13, 16, 17, 20, 21 तथा सी0एल0ए0 अधिनियम की धारा 17 के तहत अपराध के लिए पुलिस केस, डुमरी (गिरिडीह) थाना काण्ड सं0–06/2018 दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा अपीलकर्त्ता के खिलाफ चार्जशीट भी पेश की गई थी। इसके बाद एन0आई0ए0 द्वारा जाँच की गई।

4. अपीलकर्त्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अपीलकर्त्ता को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। यह निवेदन किया है कि अपीलकर्त्ता ने 24,000,00/– रूपये मूल्य की एक जे0सी0बी0 मशीन भी खरीदी थी, और यह तथ्य अपीलकर्त्ता के खिलाफ भी लिया जा रहा है, लेकिन वह उक्त मशीन खरीदने में खर्च किए गए धन का हिसाब दे सकता है। प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन से उसका कोई संबंध नहीं था, और अपनी गिरफ्तारी की तारीख से वह हिरासत में है। विद्वान वरिष्ठ अधिवकता ने निवेदन किया है कि अपीलकर्त्ता को इस मामले में झूठा फंसाया गया है और उसने जमानत के लिए प्रार्थना की है।

5. एन0आई0ए0 के विद्वान अधिवक्ता ने इस प्रार्थना का विरोध किया है और कहा है कि एन0आई0ए0 द्वारा जाँच के दौरान, यह पाया गया कि अपीलकर्त्ता के बैंक खाते से बड़ी राशि का लेनदेन किया गया था, जो उसकी ज्ञात आय से परे थी। यह भी पाया गया कि अपीलकर्त्ता केवल एक निर्माण कंपनी में एक कर्मचारी था, जहाँ से उसे केवल

8,000/– रूपया वेतन के रूप में प्रति माह मिलता था और उसके पास अपने बैंक खाते से बड़ी राशि के ऐसे लेनदेन के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे। अपीलकर्त्ता ने 24,000,00/– रूपये की जे0सी0बी0 मशीन भी खरीदी थी। अपीलकर्त्ता ने अपना अपराध कबूल कर लिया था और आतंकवादी समूह के लिए काम करने और उनके लिए लेवी इकट्ठा करने की बात भी कबूल की थी। जबकि अपीलार्थी को छह लाख रूपये की लेवी राशि के साथ पकड़ा गया था, उसके पास से एक नक्सल पैम्फलेट भी बरामद किया गया था, जिसके पीछे यह लिखा गया था ''प्रिया कामरेड लाल सलाम, आगे संगठन के साथ इकरार किया हुआ राशि, संदेश वाहक साथी से भेज देंगे। भा0क0पा0 (माओवादी)''। तद्नुसार विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि जाँच के दौरान यह पाया गया कि यह अपीलकर्त्ता आतंकवादी समूह के साथ निकटता से जुड़ा था और उनके लिए लेवी वसूल रहा था। अतः उसे जमानत नहीं दिया जा सकता है क्योंकि गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 43–डी0 (5) ऐसे मामलों में जमानत देने से रोकता है। तद्नुसार, एन0आई0ए0 के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि एन0आई0ए0 कोर्ट द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय में कोई अवैधता नहीं है जिसके द्वारा उसकी जमानत की प्रार्थना खारिज किया गया, और यह अपील खारिज किए जाने योग्य है।

6. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद एवं अभिलेख को ध्यान से देखने के बाद, हम पाते हैं कि अपीलकर्त्ता बड़ी राशि के साथ पकड़ा गया था जो कि लेवी की राशि थी जिसे अपीलकर्त्ता ने आतंकवादी समूह के लिए एकत्र किया था। नक्सल पर्चा, जो कि अपीलकर्त्ता के पास से मिला था, इस तथ्य का भी समर्थन करता है कि वह

आतंकवादी संगठन से नजदीक से जुड़ा था, और दिखाता है कि उसे आतंकवादी संगठनों ने अपने लिए धन इकट्ठा करने के लिए अधिकृत किया था। लेवी इकट्ठा करने के पत्र में जो पर्चे के पीछे था, उसका परिचय" ''संदेश वाहक साथी'' से पता चलता है कि वह आतंकवादी संगठनों के साथ नजदीक से जुड़ा था। अतः इस स्तर पर, यह ठहराया नहीं जा सकता है कि अपीलार्थी के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्ट्या सही नहीं है।

7. गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 43–डी0 (5) का पठन निम्नलिखित हैः–

''43–डी। संहिता के कुछ प्रावधानों का संशोधित अनुप्रयोग–

(1) से (4) ————————

(5) संहिता में निहित कुछ भी होने के बावजूद, इस अधिनियम के अध्याय IV और VI के तहत दंडनीय अपराध का आरोपी कोई भी व्यक्ति यदि हिरासत में है, तो वह जमानत पर यह अपने स्वयं के बांड पर रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि लोक अभियोजक को इस तरह की रिहाई के आवेदन पर सुनने का अवसर नहीं दिया जाता है।

बशर्ते कि ऐसे आरोपी व्यक्ति को जमानत पर या अपने स्वयं के बांड पर रिहा नहीं किया जाएगा, यदि न्यायालय, केस डायरी या संहिता की धारा 173 के तहत की गई रिपोर्ट का अवलोकन पर यह मत

रखता है कि यह मानने के लिए उचित आधार है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्ट्या सही है।''

8. इस प्रावधान का एक सादा पठन स्पष्ट रूप से दिखाता है कि यदि आरोप प्रथम दृष्ट्या सही पाया जाता है तो य0ए0 (पी0) अधिनियम की धारा 43–डी0 (5) आरोपी को जमानत देने के लिए स्पष्ट रूप से रोक लगाता है। (2019) 5 एस0सी0सी0 1 में रिपोर्ट किए गए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण बनाम् जाहूर अहमद शाह वली वाले मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वही विचार लेते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि यू0ए0 (पी0) अधिनियम की धारा 43–डी0 (5) में अंतर्विष्ट विशेष उपबंधों के संदर्भ में अभियुक्त पर यह प्रदर्शित करने के लिए उच्च भार है कि अभियोजन पक्ष यह दर्शित करने में समर्थ नहीं हुआ है कि ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध आरोप प्रथम दृष्ट्या सही है, यह मानने के लिए उचित आधार विद्यमान है (पैरा 47)।

9. एन0आई0ए0 द्वारा इस न्यायालय के समक्ष लाई गई सामग्रियों के मद्देनजर, हम पाते हैं कि अपीलकर्त्ता के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्ट्या सही है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता हमारे सामने यह प्रदर्शित करने में विफल रहे कि अपीलकर्त्ता के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्ट्या सही नहीं है। इस प्रकार, इस मामले के तथ्यों के आधार पर, अपीलार्थी जमानत के विशेषाधिकार का हकदार नहीं है, और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 43–डी0 (5) अपीलार्थी द्वारा मांगी गई राहत प्रदान करने में स्पष्ट रूप से रोकता है।

10. तद्नुसार, हमें एन0आई0ए0 कोर्ट द्वारा मिसिलेनियस क्रिमिनल आवेदन सं0–1025 वर्ष 2018 में पारित दिनांक 05.01.2019 के आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता नहीं मिली है जिसके द्वारा अपीलकर्त्ता की जमानत के लिए प्रार्थना को खारिज कर दिया है एवं इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप के लायक नहीं है।

11. इस अपील में कोई योग्यता नहीं है और उसको तद्नुसार खारिज किया जाता है।

ह0

(एच0सी0 मिश्रा, न्याया0)

ह0

(राजेश कुमार, न्याया0)